न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 80 / 2025	2025 / 245	02.05.2025	09.077.2025

1–रोहिताश पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम रडवा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1–भीमसिंह पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम रडवा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री रोहताश –स्वंय प्रार्थी उपस्थित

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 128 / 2024 भीमसिंह बनाम रोहिताश को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। बहस सुनी गई।

प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया है, कि तहत अदालत के समक्ष बअनुवानी पत्रावली संख्या 128 / 2024 भीमसिंह बनाम रोहिताश विचाराधीन जिसमे सुनवाई की विगत तारीख पेशी दिनाक 13.05.2025 थी। उनवानी प्रकरण मे तहत अदालत के द्वारा एक पक्षीय बहस सुनकर स्थगन आदेश जारी कर रखा है। उनवानी प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जवाब दावा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र धारा 212 पर कई बार बहस की जा चूकि है, किन्तु स्थगन आदेश पर तहत अदालत द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया है। जारी स्थगन आदेश से प्रार्थी को काफी नुकसान उठाना पड रहा है। प्रार्थी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज नही हो रहा है। तथा किसान सम्मान निधि योजना व किसान कैडिट कार्ड का फायदा नही उठा पा रहा है। पीठासीन अधिकारी दुसरे पक्ष के दबाव में है। तथा प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्याय की उम्मीद नही है। प्रार्थी आर्थिक रूप से प्रत्याडित किया जा रहा है। तथा प्रार्थी को सही व उचित न्याय नही मिलने की संम्भावना है। इस लिए उक्त प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास या न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को स्थानान्तरित करने की कृपा करे।

हमने प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष विचाराधीन पत्रावली संख्या 128 / 2024 भीमसिंह बनाम रोहिताश को दिगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है, साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही विधिवत कार्यवाही पर भी आक्षेप किया गया है, प्रकरण में स्पष्ट है, कि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी की एक पक्षीय बहस सुनकर स्थगन आदेश जारी किया गया है, उनवानी प्रकरण में प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र धारा 212 पर कई बार बहस की जा चूकि है, किन्तु स्थगन आदेश पर तहत अदालत द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया है। यदि विचाराधीन वाद में जवाब दावा / प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने के बाद भी स्थगन जारी है, तो स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील पेश किये जाने का

जिला कलक्टर
जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बिना ठोस कारण के पेश किया गया है, साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से पेश नही किया गया है, न ही वादी का पूर्ण विवरण अंकित न ही विचाराधीन वाद की प्रमाणित प्रति पेश की गयी है। विधिक प्रावधानानुसार किसी भी न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सुनवाई कर/साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात विधिवत निर्णय पारित किया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत सहायक कलक्टर मुण्डावर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)